भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4497

उत्तर देने की तारीख : 28.03.2023

आरवीवाई का कार्यान्वयन

4497. श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) की शुरूआत के बाद से अब तक इसके लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और खर्च की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लाभार्थियों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने योजना के संभावित लाभार्थियों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) की शुरूआत से इसके अंतर्गत निधि आवंटन तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है :-

(राशि करोड़ रुपए में)

आवंटित निधियां	जारी/खर्च की गई निधियां
249.1009	249.1009

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): यह स्कीम एक मात्र कार्यान्वयन एजेंसी नामत: 'भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)', (मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के माध्यम से कैम्प मोड में कार्यान्वित की जा रही है। एलिम्को पर्याप्त जागरूकता के बाद, राज्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग से डॉक्टर/तकनीशियन/अन्य पेशेवरों के दल के माध्यम से प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान करता है ताकि उनकी जरूरतों का मूल्यांकन कर सके तथा मूल्यांकन शिविरों में अपेक्षित जीवन सहायक यंत्रों का निर्धारण कर सके। वितरण शिविरों में चिह्नित लाभार्थियों के लिए सहायक यंत्रों का वितरण किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे शिविरों के आयोजन में एलिम्को का सहयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ इस मंत्रालय की तरफ से नियमित संपर्क किया जाता है। आरवीवाई की स्कीम का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

लोक सभा में दिनांक 28.03.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4497 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1007	0	1001
3	अरुणाचल प्रदेश	943	299	569
4	असम	316	1679	2323
5	बिहार	496	837	1305
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	2073	1310
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	0	76	265
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	0
10	गोवा	0	0	0
11	गुजरात	1961	0	0
12	हरियाणा	1609	158	907
13	हिमाचल प्रदेश	0	236	0
14	जम्मू और कश्मीर	247	114	8
15	झारखंड	0	346	0
16	कर्नाटक	418	532	3273
17	केरल	1646	664	910
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	818	2022	1591
21	महाराष्ट्र	0	3434	41282
22	मणिपुर	0	4170	387
23	मेघालय	2510	0	0
24	मिजोरम	0	0	364
25	नागालैंड	0	0	317
26	ओडिशा	1352	289	1920
27	पुदुचेरी	0	0	0
28	पंजाब	0	1343	383
29	राजस्थान	5298	71	1364
30	सिक्किम	804	0	0
31	तमिलनाडु	780	0	0
32	तेलंगाना	588	0	1130
33	त्रिपुरा	1158	3226	1233
34	उत्तराखंड	1404	1034	0
35	उत्तर प्रदेश	21474	2429	8829
36	पश्चिम बंगाल	0	101	0
कुल		**44829**	**25133**	**70671**

*****